

कार्यालय सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा-रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक/ 410 / विअ / न0ग्रा0नि0 / 2011

विदिशा, दिनांक 14/3/11

प्रति,

राजेश जालोरी आ राजमल जालोरी  
राहुल जालोरी, रिषी जालोरी, आ0 राजेश जालोरी  
निवासी वार्ड-33 सिविल लाइन विदिशा (म0प्र0)

विषय : कस्बा विदिशा में खसरा क्रमांक 2491 में से रकबा 118.56 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय उपयोग के अन्तर्गत  
घरेलू व्यावसायिक इकाई हेतु विकास अनुज्ञा बाबत।  
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.1.2011

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि वार्ड क्रमांक 33 में स्थित ग्राम विदिशा के खसरा क्रमांक 2491 में से रकबा 118.56 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्माण हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाहा है विदिशा विकास योजना में प्रस्ताधीन भूमि वर्तमान आवासीय भू-उपयोग में निर्दिष्ट है। विदिशा विकास योजना में स्वीकृत एवं स्वीकार्य भू-उपयोग के अन्तर्गत "घरेलू व्यावसायिक इकाई" हेतु विकास अनुज्ञा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1989
2. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, विदिशा
3. नज़ूल अधिकारी विदिशा
4. मध्यप्रदेश राज्य विधुत मण्डल
5. जल संसाधन विभाग ( बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/ निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।
3. प्रस्ताधीन भूमि के सम्मुख मार्ग एस. एच. 86 के मध्य से 1.8:0... मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोड़ना आवश्यक होगा।
4. प्रस्ताधीन भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये अनुसार 2.0... प्रतिशत मान्य होगा एवं एम0ओ0एस0 निम्नानुसार होगा। सामने 2.0... मीटर, पीछे 1.50... मीटर, आजू... मीटर, बाजू 1.50... मीटर।